7.11.25	पत्रावली पेश। वकील वादी उप। वाद वादी द्वारा स्वीकार करने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। निर्णय सार इजलास सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा. पत्रा. किया गया। पत्रावली वकालतनामा नकल जमा की जाकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]

Scanned with OKEN Scanner

पीठासीन अधिकारी
नियमित वाद पत्र संख्या.

रामावतार मीणा (RAS)
02/2021

किशनलाल आयु 64 वर्ष पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति माली निवासी ग्राम मोईकलां तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

–वादी–

बनाम

1. धनराज आयु 56 वर्ष पुत्र श्री बिरधीलाल जाति माली निवासी ग्राम मोईकलां तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील सांगोद जिला कोटा (राज.)

– प्रतिवादी –

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :– (i) वादी की और से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार विजय
(ii) प्रतिवादी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही

––:: **निर्णय** ::–– दिनांक :– 29.11.2024

वादी द्वारा उक्त उनवानी वाद पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें मुख्यतः वादी द्वारा निवेदन किया गया की ग्राम मोईकलां तहसील सांगोद में पूर्व खसरा नं. 1126 की 12 बिस्वा हाल खसरा नं. 1961 की 0.10 हैक्टर आराजी स्थित है जो प्रतिवादी क्रं. 1 के नाम खाते दर्ज है। उक्त आराजी को वादी द्वारा भगवान लाल धाकड पुत्र श्रीलाल व मोहनलाल पुत्र श्रवणलाल माली निवासी ग्राम मोईकलां के समक्ष रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.06.1991 से प्रतिवादी क्रं. 1 से विक्रय मूल्य 6,000/–रुपये मे क्रय किया गया था तथा विक्रय मूल्य की सम्पूर्ण राशि प्रतिवादी क्रं. 1 को चूकता अदा कर आराजी पर वादी द्वारा कब्जा प्राप्त कर लिया था तब से आज दिन तक उक्त आराजी वादी के ही कब्जे काश्त मे निर्बाध रुप से निरन्तर चली आ रही है। उक्त आराजी क्रय करने के करीब 11 दिन पूर्व ही वादी द्वारा ग्राम मोईकलां मे स्थित अन्य आराजी खसरा नं. 1125 की 8 बिस्वा मे 1/2 हिस्सा तथा खसरा नं. 1127 की 7 बिस्वा व खसरा नं. 1124 की 6 बिस्वा कुल 13 बिस्वा आराजी भी क्रय की गई थी तथा विक्रय राशि अदा कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमाक 239 व 241 दिनांक 04.06.1991 निष्पादित करवाकर कब्जा आराजी प्राप्त कर लिया गया था। जो आज दिन तक वादी के ही कब्जे काश्त मे है।

यह कि वादी द्वारा उक्त सम्पूर्ण क्रयशुदा आराजीयात का स्वयं के नाम इन्तकाल खोल तस्दीक कराने हेतु उक्त तीनों रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मुल ही तत्कालिन पटवारी हल्का को सोंप दियें थे पटवारी जी हल्का द्वारा वादी कहा था की तीनों रजिस्ट्री से इन्तकाल खुल जावेंगे तथा क्रयशुदा आराजी वादी के नाम खाते दर्ज हो जावेंगी। तत्पश्चात वादी द्वारा जानकारी चाहने पर पटवारी हल्का द्वारा जानकारी दी गई की 04.06.1991 की दोनो रजिस्ट्रीयों का इन्तकाल तस्दीक हो गया है किन्तु उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.06.1991 क्रेता के पिता का नाम अंकित नही होने से उसका इन्तकाल नही खुला है। तत्पश्चात पटवारी जी द्वारा वादी को मूल रजिस्ट्रीयां वापिस नही दी गई तब बाद में नकले निकलवाई गई एवं राजस्व शिविर मे भी इन्तकाल खुलवाने का प्रयास किया किन्तु रजिस्ट्री मे पिता का नाम दर्ज करवाने के लिए कहा गया।

Conti.....2

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद (कोटा)

Scanned with OKEN Scanner

यह कि वादी द्वारा उक्त आराजी प्रतिवादी क्रं. 1 से विक्रय मूल्य अदा कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था जिसे करीब 28 वर्ष हो चूके है। तब से ही वादी ही काबिज काश्त चला आ रहा है तथा वादी उक्त वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का पूर्ण अधिकारी है साथ ही निरुद्ध कब्जा प्रतिवादी के विरुद्ध वादग्रस्त आराजी पर निरुद्ध कब्जा होने से भी वादी को खातेदारी घोषित करवाने का व रेकार्ड मे नाम दर्ज करवाने का वैद्य अधिकार प्राप्त है। वादी द्वारा प्रतिवादी क्रं. 1 से अब तक कई बार उक्त त्रुटि ठीक करवाने बाबत कई बार निवेदन किया गया किन्तु वह टालमटोल करता रहा। अन्त मे इस वर्ष मना कर दिया है तथा खाते मे स्वयं का नाम दर्ज होने से रहन, बेचान कराने की वादी को धमकी देने लगा है इसलिए प्रतिवादी क्रं. 1 के विरुद्ध सम्मानीय न्यायालय में उक्त वाद पेश कर अनुतोष प्राप्त करना आवश्यक हुआ है। वाद कारण प्रतिवादी क्रं. 1 द्वारा वाद पत्र मे संशोधन करवाकर वादी के पिता का नाम जुडवाने की कार्यवाही मे सहयोग करने से टालने व इस वर्ष मना करने तथा अन्यत्र रहन, दान, बेचान आदि करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ है। राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर होने से जर्ये तहसीलदार साहब सांगोद के प्रतिवादी क्रं. 2 के रुप मे जोडा गया है, इनके विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहने से उन्हे कानूनी नोटिस प्रेषित नही किया गया है। वाद पत्र उचित न्याय शूल्क पर पेश किया गया है। अन्त में वादी द्वारा निवेदन किया गया की वाद पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी क्रं. 1 के विरुद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादी को ग्राम मोईकलां मे स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1126 की 12 बिस्वा हाल खसरा नं. 1961 की 0.10 हैक्टर का खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा खाते व राजस्व रेकार्ड मे वादी के नाम दर्ज किये जाने हेतु आदेश फरमावें, रहन, दान या बेचान आदि नही करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे तथा यदि दौराने वाद रहन, दान या बेचान किया जाता है तो उसे अवैध एवं शून्य घोषित किया जावें।

यह कि उक्त वाद प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ता बाद दर्ज कर जर्ये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब करने का आदेश किया गया। तलवी हेतु सम्मन जारी किये गये तथा तलवी होने पर प्रतिवादी क्रं. 1 की और से एडवोकेट अनुतोष नागर द्वारा वकालत नामा पेश किया गया, पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। प्रतिवादी को जवाब हेतु कई सारे अवसर, अन्तिम अवसर एवं कोष्ट पर भी कई अवसर दिये गये किन्तु जवाब दावा पेश नही होने से दिनांक 20.05.2024 को जवाब दावा बन्द किये जाने का आदेश किया गया। तत्पश्चात वकील प्रतिवादी भी हाजिर नही होने से दिनांक 24.09.2024 को प्रतिवादी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। जवाब दावा पेश नही होने से उक्त वाद में तनकीयात कायम नही की गई। वादी उपस्थित है जिसके बयान का शपथ पत्र पेश हुआ तथा दस्तावेज प्रदर्श कराये गये। तत्पश्चात दिनाक 22.11.2024 को बहस अन्तिम सुनी गई।

यह कि पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, अधिवक्ता वादी की बहस पर भी मनन किया गया, प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबन्दी क्रमांक 218 प्रदर्श 1 प्रमाणित प्रति रजिस्ट्री क्रमांक 275/91 दिनांक 17.06.1991 प्रदर्श 2, नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम मोईकलां प्रदर्श 3, नकल जमाबन्दी क्रमांक 553 ग्राम मोईकलां प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी संख्या 368 ग्राम मोईकलां प्रदर्श 5, नकल रजिस्ट्री दिनांक 04.06.1991 क्रमांक 241/91 की असल प्रदर्श 6 , प्रति प्रदर्श 6 ए, नकल रजिस्ट्री क्रमांक 239/91 दिनांक 04.06.1991 प्रदर्श 7, फोटो प्रति प्रदर्श 7ए का भी अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में वादी द्वारा प्रतिवादी क्रं. 1 से ग्राम मोईकलां मे स्थित खसरा नं. 1961 की 0.10 हैक्टर जो कि पूर्व खसरा नं. 1126 की 12 बिस्वा भूमि है, को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया गया व कब्जा प्राप्त किया गया जिसकी रजिस्ट्री मे वादी के पिता का

Conti.....3

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

नाम लिखने से रह जाने के कारण नामान्तरण नही हो पाया। वादी का कथन है कि शुद्धि पत्र द्वारा संशोधन करवाने का प्रतिवादी क्रं. 1 से कई बार कहा गया जो टालता रहा परन्तु अन्त मे प्रतिवादी क्रं. 1 द्वारा मना कर दिया गया तथा उसने हस्तान्तरण करने की धमकी भी दी जिससे उक्त दावा प्रस्तुत किया गया है। वादी का यह भी कथन है कि इसके क्रय करने के 11 दिन पूर्व अन्य आराजी भी 2 रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों से क्रय की गई थी उन दो का तो इन्तकाल तस्दीक कर दिया गया।

यह कि वादी के बयान और दस्तावेजों का अवलोकन करने से यह बात तय है कि वादी द्वारा प्रतिवादी क्रं. 1 से वादग्रस्त आराजी क्रय की गई एवं कब्जा प्राप्त किया गया तथा वाद प्रस्तुत करने तक करीब 28 वर्ष से वादी ही काश्त करता चला आ रहा है। क्योंकि प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नही किया गया तथा अन्त में अनुपस्थित हो गये जिसके कारण यह उपधारणा की जाती है कि यदि वादी के द्वारा वाद पत्र मे कथित तथ्य मिथ्या या अनुचित होते तो प्रतिवादी द्वारा निश्चित प्रतिवाद किया जाता। ऐसी स्थिति मे वाद पत्र मे वादी द्वारा कथित तथ्यो को व बयान को मिथ्या या संदेहपरक नही माना जा सकता एवं वादग्रस्त आराजी का विक्रय पत्र दिनांक 17.06.1991 के आधार पर तथा आज दिन तक कब्जे काश्त मे होने से वादी को उक्त वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नं. 1961 की 0.10 हैक्टर ग्राम मोईकलां तहसील सांगोद का खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं वाद पत्र वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

——:: आदेश ::——

वाद पत्र वादी स्वीकार कर अन्तिम रुप से डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि ग्राम मोईकलां मे स्थित आराजी हाल खसरा नं. 1961 की 0.10 हैक्टर का प्रतिवादी क्रं. 1 के स्थान पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी क्रं. 1 धनराज पुत्र बिरधीलाल जाति माली निवासी ग्राम मोईकलां के स्थान पर वादी किशनलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति माली निवासी ग्राम मोईकलां का नाम खाते एवं राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जावे। नियमानुसार डिक्री जारी की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

रामावतार मीणा
उपजिला कलेक्टर साँगोद
जिला कोटा राजस्थान।

Scanned with OKEN Scanner